

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/रानावि/21306/2017-18

दिनांक : 05.10.2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय-नागौर।

विषय: माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक : 27.09.2018 को नागौर जिले की यात्रा के दौरान 02 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति की घोषणा के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- 40 11(1) शिक्षा-1/2015, पार्ट जयपुर दिनांक 06.10.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक : 27.09.2018 को जिला नागौर की यात्रा के दौरान घोषणा के क्रम में प्रासंगिक शासकीय निर्देशों की पालना में निम्नांकित 02 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति अग्रांकित शर्तों के अधीन एवम् द्वारा प्रदान की जाती है: -

क्र. स.	यू-डाईस कोड	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	विद्यालय का नाम
1	8140911801	NAGOUR	PARBATSAR(114)	KUCHAMAN	ANANDPURA	GUPS RANASAR
2	8140407701	NAGOUR	PARBATSAR(114)	PARBATSAR	PEEPLAD	GUPS MEHGAON

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नत सत्र 2018-19 से प्रारम्भ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. उक्तानुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयों को माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा संख्या 99 के अनुसार क्रमोन्नत 1832 विद्यालयों में सम्मिलित किया जावेगा।
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करावे।
5. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि का मिलान/जांच करके ही आदेश जारी करें।

  
(नयमल डिपेंडल)  
आई.एस.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, अजमेर संभाग, अजमेर।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, नागौर।
13. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कुचामन/परबतसर, जिला-नागौर
14. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
15. प्रभारी, प्रभाग अ-1, अनुभाग हाजा को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

  
05.10.18  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर